71

-329-

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प० 3 (2) नवि० / 3 / 2002 जयपुर, दिनांक जनवरी, 2002

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर (राज.)

विषय: जयपुर विकास प्राधिकरण की समितियों का गठन।

महोदय,

आपके पत्र क्रमांक जविप्रा / निस / सचिव / 2001 / डी–215 दिनांक .11.2001 के द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण की समितियों के गठन के आदेश की प्रेषित प्रति का अवलोकन किया गया। समितियों के कार्य को शीघ्र एवं कुशलतापूर्वक निष्पादन की दृष्टि से राज्य सरकार ने उक्त आदेश में निम्नप्रकार संशोधन करने के का निर्णय लिया है। कृपया तद्नुसार कार्यवाही करें।

1– अनापत्ति प्रमाण पत्र समिति :

इस समिति में जिला कलेक्टर, जयपुर के स्थान पर सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण को अध्यक्ष बनाया जाए। समिति के अध्यक्ष आयुक्त ज.वि.प्रा. के नियत्रण में कार्य करेंगे।

2– भवन मानचित्र समिति :
यह समिति जयपुर विकास आयुक्त के नियत्रंण में कार्य करेगी।

3– भवन एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति:

समिति के अध्यक्ष आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण होगें। यह समिति 1000 वर्गमीटर तक हर प्रकार के भू–उपयोग परिवर्तन का कार्य भी सम्पन्न करेगी, जिसके सम्बन्ध में पूर्व में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जा चुका है। समिति द्वारा जिन प्रकरणों का निस्तारण किया जाना है उनका अनुमोदन अध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कराया जावेगा।

(एच. एस. भारद्वाज)
उप शासन सचिव